

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 261)

11 चैत्र 1935 (श0) पटना, सोमवार, 1 अप्रील 2013

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

1 अप्रील 2013

सं० एल0जी0-1-7/2013/लेजः59—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2013 को अनुमित दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

बिहार वित्त अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 3, 2013]

प्रस्तावना—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।— (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

भाग-1

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन

2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में एक नई धारा—15ख का अतःस्थापन।—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—15क के बाद निम्नलिखित नई धारा—15ख अंतःस्थापित की जायेगी. यथा—

"15ख अधिनियम के अधीन देय कर के बदले नियत राशि अथवा नियत दर से कर का भुगतान— (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी परंतु इस सम्बंध में बनाए गए नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसे माल अथवा ऐसी श्रेणी या विवरण के माल तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएँ, किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यवहारियों को उनके द्वारा किसी संव्यवहार के सम्बंध में संदेय कर के बदले में, पचास हजार रूपयों से अनिधक एक नियत राशि अथवा ऐसी दर पर परिगणित किसी रकम का, जो संव्यवहार के मूल्य के पाँच प्रतिशत से अनिधक हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, संदाय करने की अनुमित दे सकेगी:

परंतु यह कि राज्य सरकार संव्यवहार के विभिन्न मूल्य श्रेणी हेतु भिन्न राशियाँ विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

- (2) अधिसूचना में, उप—धारा (1) के अधीन देय कर के भुगतान का समय तथा भुगतान की रीति राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाना वैध होगा।
 - (3) ऐसे व्यवहारी जिन पर उप-धारा (1) के उपबंध लागू होते हों,-
- (क) उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना, मैं विनिर्दिष्ट राशि से अधिक राशि प्रभारित नहीं करेंगे; तथा
 - (ख) उनके द्वारा किए गए बिक्रय के सम्बन्ध में कर-बीजक जारी करने के हकदार नहीं होंगे।"

भाग-2

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में संशोधन

3. बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10,2011) की धारा—7 में संशोधन ।—बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10,2011) की धारा—7 की उप—धारा (1) का परंतुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

''परंतु किसी कार्य नियोजक के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यक्ति जिसने अधिनियम की धारा— 8 की उप—धारा (3) के अधीन भुगतेय कर ब्याज सहित, यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया है, के द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।''

भाग-3

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन

- 4. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा—5 में संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा—5 की उप—धारा (6) के बाद एक नई उप—धारा (7) निम्नलिखित द्वारा अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा—
- "(7) यदि कोई तिपहिया वाहन / टैक्सी / मैक्सी कैब / मोटर कैब महिला के नाम पर व्यवसायिक वाहन के रूप में निबंधित किया जाना हो और उक्त वाहन का परिचालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला चालक जिनके पास व्यवसायिक चालक अनुज्ञप्ति है, के द्वारा किया जाना है, तो वैसे वाहनों के निबंधन हेतु पथ कर में शतप्रतिशत छट प्रदान की जायगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन के दोषी पाये जाने वाले वाहनों पर उक्त वाहन के लिए देय एक मुश्त कर एवं उतनी ही राशि अर्थदण्ड के रूप में देय होगी।''

- 5. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा—7 में संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा—7 की उप—धारा—(5) के परन्तुक को विलोपित किया जायेगा।
- 6. **बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा—7 में संशोधन।** बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा—7 की उप—धारा (8) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

- "(8) (क) गैर-कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये ट्रैक्टर पर इसके क्रय मूल्य, वैट को छोडकर, का 2 % (दो प्रतिशत) आजीवन कर देय होगा ।
- (ख) सभी प्रकार के लदान क्षमता के निबंधित ट्रेलरों पर आजीवन एक मुश्त कर रू० 10,000 (दस हजार) देय होगा ।
- 7. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा—11 में संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा—11 की उप—धारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएगें;— यथा—

"परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा पथकर के भुगतान के लिए प्रारम्भ की गयी बैंकों के माध्यम से ई—पेमेंट की विहित प्रक्रिया द्वारा वाहन स्वामी के डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि से जमा की गयी राशि के फलस्वरूप निर्गत कम्प्यूटरीकृत टोकन ही उक्त धारा के अध्यधीन 'टैक्स टोकन' व्यवहृत किया जाएगा । इस टोकन पर पदाधिकारी का मूल हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगा । इसी प्रकार वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत 'टैक्स टोकन' पर भी करारोपण पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगा ।"

- 8. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा—28 में संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा—28 की उप—धारा (7) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगें, यथा—
- "(7) राज्य से बाहर निबंधित वाहन यदि बिहार राज्य में बिना कर भुगतान किये या बिना वैध परिमट के परिचालित पाये जाते हैं तो उन वाहनों को 30 दिनों तक अस्थायी परिचालन के लिए निर्धारित कर एवं उक्त कर की दुगुनी राशि अर्थ दण्ड के रूप में उनके द्वारा भुगतेय होगा । अर्थ दण्ड की राशि किसी भी परिस्थिति में रू0 5000 (पाँच हजार) से कम नहीं होगी ।
- 9. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित, 2012) की अनुसूची—1 का भाग—क का प्रतिस्थापन।— उक्त अधिनियम की अनुसूची—1 का भाग—क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा:—

अनुसूची—1 वैयक्तिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर की दर तालिका धारा—7 की उप—धारा (1) देखें

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग	
			मोटर साईकिल	व्यक्तिगत मोटर कार, जीप एवं 12 बैठान क्षमता तक के ओमनी बस
1	2	3	4	5
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र	एकमुश्त कर वाहन के वैट रहित क्रय मूल्य का 7%	एकमुश्त कर वाहन के वैट रहित क्रय मूल्य का 7%
ৰ		यदि वाहन पूर्व से निबंधित है और उसकी प्रथम निबंधन से उम्र	खंड अ कॉलम (4) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाला एकमुश्त कर का प्रतिशत ।	खंड अ कॉलम (5) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत ।
	1	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	95%	95%
	2	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	90%	90%
	3	तीन वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से कम	85%	85%
	4	चार वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम	80%	80%
	5	पाँच वर्ष से अधिक परन्तु छह वर्ष से कम	75%	75%
	6	छह वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम	70%	70%

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग	
			मोटर साईकिल	व्यक्तिगत मोटर कार, जीप एवं 12 बैठान क्षमता तक के ओमनी बस
1	2	3	4	5
	7	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम	65%	65%
	8	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम	60%	60%
	9	नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	55%	55%
	10	दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम	50%	50%
	11	ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम	45%	45%
	12	बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम	40%	40%
	13	तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम	35%	35%
	14	चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पंद्रह वर्ष से कम	30%	30%
	15	पंद्रह वर्ष से अधिक	25%	25%

- 10. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची–1 भाग–ग का क्रम संख्या–3–क
- (ii) में संशोधन बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 भाग ग का क्रम संख्या-3-क(ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-
- "3 $-\sigma(ii)$ $-(\sigma)$ व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये टैक्सी / मोटर कैब / मैक्सी कैब पर वैट रिहत क्रयमूल्य का 5% की दर से 15 (पंद्रह) वर्षों के लिए एक मुश्त कर देय होगा ।
- (ख) पूर्व से निबंधित चार बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) वाले टैक्सी को वार्षिक 3200 रू० (तीन हजार दो सौ) कर देय होगा ।
- (ग) चार से अधिक बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) वाले टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब को रू० 3200 (तीन हजार दो सौ) एवं रू० 500 (पाँच सौ) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए वार्षिक कर देय होगा;
- परन्तु बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-I भाग-'क' के अनुसार पूर्व से निबंधित वाहन एवं उनके प्रथम निबंधन से उम्र के आधार पर टैक्सी / मोटर कैब / मैक्सी कैब के लिए अधिरोपित एकमुश्त कर भुगतेय होगा I''
- 11. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची—1 का क्रम संख्या—3 (ग) का संशोधन।— उक्त अधिनियम की अनुसूची—1 का भाग—ग के क्रम संख्या—3 (ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा—
 - ''3 (ग) तिपहिया वाहनः
 - (क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)
 - नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रू० 9000 (नौ हजार) एकमुश्त कर देय होगा ।

अथवा

- (i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू० 6,000 (छह हजार) देय होगा ।
- (ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रू० 6,000 (छह हजार) कर देय होगा ।

(ख) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोडकर)-

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रू० 13500 (तेरह हजार पाँच सौ) एक मुश्त कर देय होगा।

अथवा

- (i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हो राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू० **9,000 (नौ हजार) देय होगा ।**
- (ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रू० 9,000 **(नौ हजार)** कर देय होगा ।"
- 12. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची—1 भाग ग क्रम संख्या—4 में संशोधन।— बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची—1 भाग ग क्रम संख्या—4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

(F-		
	मालवाहक, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से अन्यथा पैसेन्जर	
4	परिवहन वाहन (चालक एवं संवाहक को छोड़कर)–	
(क)	13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनधिक बैठान	रू० 500 (पाँच सौ) प्रति सीट
	क्षमता ।	प्रति वर्ष
(ख)	27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान	रू० ५५० (पाँच सौ पचास) प्रति
	क्षमता ।	सीट प्रति वर्ष
(ग)	33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता ।	रू० ६५० (छह सौ पचास) प्रति
		सीट प्रति वर्ष
(ঘ)	वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस	रू० 1000 (एक हजार) प्रति
	3	सीट प्रति वर्ष

परन्तु पैसेंजर वाहनों की बैठान क्षमता का निर्धारण एवं उस पर कराधान उक्त वाहन के व्हील बेस के आधार पर निर्धारित साधारण बस के बैठान क्षमता के अनुसार अधिरोपित होगी ।"

13. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची—1 में संशोधन।— बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची—1 भाग—ग क्रम संख्या—1 को विलोपित किया जाता है:—

(1) क्रम संख्या— 1

2 (ख)

विलोपित

14. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची—2 में संशोधन।—उक्त अधिनियम की अनुसूची—2 का निम्नांकित क्रमांक विलोपित किया जाता है:—

(1) क्रम संख्या–

विलोपित

(2) क्रम संख्या-

विलोपित

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

1 अप्रील 2013

सं० एल0जी0-1-7/2013/60/लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मार्च 2013 को अनुमत बिहार वित्त अधिनियम, 2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

BIHAR FINANCE ACT, 2013 [Bihar Act 3, 2013] AN

AN ACT

TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005, THE BIHAR TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 2011, AND BIHAR MOTOR VEHICLE TAXATION ACT, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty fourth year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Finance Act, 2013.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.

PART-1

AMENDMENT IN THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT 27 OF 2005)

- 2. Insertion of a new section 15B in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) herein after referred to as Act 27, 2005—After section 15A of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new section 15B shall be inserted, namely—
- "15B. Payment of a fixed amount or payment at a fixed rate in lieu of the tax payable under the Act- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act but subject to such Rules as may be made in this behalf, the State Government may, in respect of such goods or class or description of goods and subject to such conditions and restrictions as may be specified in a notification issued in this behalf, permit any class or description of dealers to pay, in lieu of the tax payable by him in respect of any transaction, either a fixed amount, not exceeding fifty thousand rupees, or an amount calculated at such rate, not exceeding five percent of the value of the transaction, as may be specified in the notification:

Provided that the State Government may specify different amounts in respect of different ranges of values of the transaction.

- (2) It shall be lawful for the State Government to specify, in the notification, the time at which and the manner in which the amount payable under sub-section (1) shall be paid.
 - (3) Every dealer to whom the provisions of sub-section (1) apply shall—
- (a) not charge any tax in excess of the amount specified in the notification issued under sub-section (1); and
 - (b) not be entitled to issue any tax invoice in respect of any sale made by him."

PART-2

AMENDMENT IN THE BIHAR TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 2011

3. Amendment of Section 7 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act 10 of 2011).—The proviso to sub-Section (1) of Section 7 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act 10 of 2011), shall be substituted by the following, namely—

"Provided that every person, other than an employer, liable to tax under this Act, who has remitted the tax from him due under the Act, along with the interest, if any, payable under sub-Section (3) of Section 8 of the Act shall not be required to furnish the return specified in this Section."

PART-3

AMENDMENT IN BIHAR MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1994

- 4. Amendment of section-5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994—In the said Act a new sub section-(7) shall be inserted after sub section (6) of section-5 namely-
- "(7) if a new vehicle three wheeler/taxis/motor cab/maxi cab is being registered in the name of a female as commercial vehicle and she possessed a valid transport driving license with a purpose to operate/ply either herself or by any other female driver having valid transport driving license exclusively, then the said vehicle will be given 100% exemption in road tax.

In case of violation of above provision, the said vehicle will be charged admissible one time tax for such vehicle and penalty of equivalent amount.

- 5. Amendment in section-7of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994.—Proviso of sub section (5) of section 7 of the Bihar Motor Vehicles Act, 1994 shall be deleted.
- 6. Amendment of section 7 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 (Bihar Act 8 of 1994) –sub section (8) of section 7 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act 1994 shall be substituted by the following, namely—
- "(8) (a) One time tax for the life time of the vehicle shall be levied on tractor used or kept for use for other than agricultural purpose at the rate of two percent of the cost of the vehicle excluding Value Added Tax.
- (b) One time tax for the life time at the rate of Rs. 10,000 shall be levied on the registration of trailers of all laden capacity.
- 7. Amendment of section-11 of Bihar Motor Vehicle taxation Act, 1994—In the said Act the following proviso shall be inserted in sub-section (1) of section-11, namely-
- "Provided that the computerized token issued under E-payment scheme launched by the State Government for the payment of road tax through banks as a result payment of tax by the vehicle owner through Debit card/Credit card/ internet banking etc. shall be treated as a valid 'Tax Token' under the Act. Signature of the Taxing Officer shall not required on such token. Similarly, the tax token issued through 'VAHAN' software shall not require signature of taxing officer."
- 8. Amendment of section-28 of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994—In the said Act Sub-section-(7) of section-28 shall be substituted by the following, namely-
- "(7) Vehicles registered in other States, if found plying in the State of Bihar without payment of prescribed taxes or without a valid permit, shall be liable to pay taxes prescribed for 30 days period for vehicles plying under temporary permit and in addition to this, a penalty equal to two times of tax amount. Amount of penalty shall not be less than Rs. 5000."
- 9. Substitution of the Part A of the Schedule-I of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 (As amended, 2012) In the said Act Part A of Schedule-I shall be substituted by the following:

SCHEDULE-I Part-A Rate chart of one-time tax for Personal Vehicles [See Sub-section (1) of section-7]

Clause	Sl. No.	Stages of Registration		otor Vehicles
			Motor Cycle	Motorcars, Jeep
				and Omnibuses up
				to seating capacity
				of 12 used for
				personal use
1	2	3	4	5
Α		Up to one year of age at the	One time tax at the	One time tax at the
		time of registration or first	rate of 7% cost of	rate of 7% cost of
		registration	vehicles excluding	vehicles excluding
			VAT	VAT
В		If the Motor vehicle is	Percentage of one	Percentage of one
		already registered and its age	time tax levied	time tax levied
		from the first registration is	under Clause-A	under Clause-A
			Column(4)	Column(5)
	1	More than one year but not	95%	95%
		more than two years		
	2	More than two years but not	90%	90%
		more than three years		
	3	More than three years but not	85%	85%
		more than four years		
	4	More than four years but not	80%	80%
		more than five years		
	5	More than five years but not	75%	75%
		more than six years		
	6	More than six years but not	70%	70%
		more than seven years		
	7	More than seven years but	65%	65%
		not more than eight years		
	8	More than eight years but not	60%	60%
		more than nine years		
	9	More than nine years but not	55%	55%
		more than ten years		
	10	More than ten years but not	50%	50%
		more than eleven years		
	11	More than eleven years but	45%	45%
		not more than twelve years		
	12	More than twelve years but	40%	40%
		not more than thirteen years		
	13	More than thirteen years but	35%	35%
		not more than fourteen years		
	14	More than fourteen years but	30%	30%
		not more than fifteen years		
	15	More than fifteen years	25%	25%

- 10. Amendment of the serial no.-3a(ii) of part-c of the schedule-1 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994— Serial no.-3a(ii) of part-c of the schedule-1 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act 1994 shall be substituted by the following, namely-
- " (ii) (a) One time tax @ 5% of the vehicle cost excluding VAT shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for taxi/maxi cab/motor cab.
- (b) Taxi seating capacity upto 4, (excluding driver) registered previously shall have to pay Rs. 3200/- per annum.
- (c) Taxi/Motor cab/Maxi cab having seating capacity more than 4 (excluding driver) shall have to pay Rs. 3200/- per annum and in addition thereof Rs. 500/- per seat per annum for more than 4 seats.

"Provided that one time tax as applicable for maxi/motor cabs/ maxi cabs shall be levied on the basis of age from the vehicles already registered for more than one year as per schedule-1 part-A of Bihar Motor vehicle Taxation Act, 1994 (as Amended)."

- 11. Amendment of the part-C of schedule-1 serial no.-3(C) of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994—In the said Act Part-C of schedule-1 serial no.-3(C) shall be substituted by the following, namely.—
 - "3(C): Three Wheeler -
- (a) Three Wheeler with seating capacity not more than 4 persons (excluding the driver).

A one time tax of Rs. 9000/- shall be levied for 15 Years for new registered vehicle.

or

Three wheelers - (i) A one-time tax of Rs. 6,000/- on all three wheelers up to one year of age at the time of registration for a period of ten years from the date of first registration in the State :

- (ii) A one time tax of Rs. 6,000/- for a period of five years on three wheelers which are more than ten years old.
 - (b) Three wheelers with seating capacity up to 7 persons (excluding the driver) –

A one time tax of Rs. 13500/- shall be levied for 15 Years from new registered vehicles.

or

- (i) A one-time tax of Rs. 9,000/- on all three wheelers up to one year of age at the time of registration for a period of ten years from the date of first registration in the State.
- (ii) A one time tax of Rs. 9,000/- for a period of five years on three wheelers which are more than ten years old.
- 12. Amendment of serial no.-4 of the schedule-1 part-C of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.—Serial no. 4 of schedule-1 part-C of the Bihar Motor Vehicle Act 1994 shall be substituted by the following; namely—

4.	Transport vehicles other than goods carriages,	Annual Rate of Tax
	motor cabs and maxi cabs excluding of the driver	
	and conductor.	
	(a) Seating capacity not less than 13 persons	Rs. 500/- per seat, per annum.
	and not more than 26 persons.	
	(b) Seating capacity not less than 27 persons	Rs. 550/- per seat, per annum.
	and not more than 32 persons.	
	(c) Seating capacity 33 persons or more.	Rs. 650/- per seat, per annum.
	(d) Volvo, Mercedez and equivalent bus.	Rs. 1000/- per seat, per annum

Provided that the tax calculation for all passenger vehicles shall be done according to the minimum seating capacity prescribed for the general buses on the basis of their wheel base."

- 13. Amendment of schedule-1 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994—The following parts of serial no. 1 part-C of schedule-1 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act 1994 shall be deleted.
 - (1) Serial no. 1

Deleted

14. Amendment of schedule-II of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994—In the said Act the following parts of the schedule-II shall be deleted.

i. Serial no.-2 (b)

Deleted

ii. Serial no.-3

Deleted

By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 261-571+400-डी०टी०पी०।

Website: http://egazette.bih.nic.in